नि 14 फारम संख्या 562

# कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

## आदेश पत्रक

केदार महतो व अन्य ...प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम महेन्द्र महतो व अन्य ...द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ............ से ............ तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ... 139 ... सन् 2022

धारा 144 द०प्र०स०

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 15/x/22 | आवेदक केदार महतो और अन्य साकिन – तुलियानो, पो० – मन्दरामो, थाना + अंचल सरिया, जिला गिरिडीह द्वारा द० प्र० स० कि धारा – 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा – तुलियानो, थाना – सरिया के अन्तर्गत<br>खाता नं० – 120 प्लॉट नं० – 2572 रकवा 10.2 एकड<br>चौहदी: उ० – कैला महतो<br>द० – खेमन महतो<br>पू० – चुरो महतो<br>पं० – लेख्यकारी नीज अवस्थित है।<br>मैं भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी सरिया थाना प्रभारी सरिया से मांगे।<br>अभिलेख दिनांक 29/x/22 को उपस्थापित करें।<br>लेखापित एवं संशोधित<br>15/x<br>अनुमंडल दण्डाधिकारी<br>बगोदर – सरिया<br>15/10/22<br>अनुमंडल दण्डाधिकारी<br>बगोदर – सरिया | |

| क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | अभिलेख उपस्थापित। ~~थाना प्रभारी~~/अंचल अधिकारी सरिया के ज्ञापांक सं० 815 दिनांक 22.11.22 के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।<br>इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 8/12/22 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय।<br>अभिलेख दिनांक 8/12/22 को उपस्थापित करें।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br><br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया     अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया | |

| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 8/12/22 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनु०। अभिलेख दिनांक 22/12/22 को रखें। (हस्ताक्षर) | |
| 22/12/22 | उभय पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष उपस्थित प्रथम पक्ष पुकार के समय गैर हाजिर पाये गये। द्वितीय पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के order के तहत वाद को बहाल करने की गुहार की गई। अभिलेख अगली तारीख 05-01-2023 को रखें। (हस्ताक्षर) | |
| 05/1/23 | प्रथम पक्ष अनु०। द्वितीय पक्ष उप०। अभिलेख 09-01-2023 को रखें। (हस्ताक्षर) | |
| 9/01/23 | प्रथम पक्ष अनु०। द्वितीय पक्ष उप०। अभिलेख दिनांक 21/1/23 को रखें। पुनश्च:- प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। | |
| 21/1/23 | प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष वकालतन हाजिर। आदेश की टंकित प्रति संलग्न। (हस्ताक्षर) 21/1 | |

| आदेश की क्र0 सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

## आदेश

यह वाद केदार महतो वगै0 पिता स्व0 वकील महतो, साकिन-लुतियानो, थाना-सरिया, जिला-गिरिडीह के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के केदार महतो वगै0 बनाम द्वितीय पक्ष के महेन्द्र महतो वगै0 को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द0प्र0सं0 की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ हीं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

मौजा- लुतियानो, थाना-सरिया, जिला- गिरिडीह अंतर्गत, खाता नं0-120, प्लॉट नं0-2572, रकवा-10.2 एकड चौहद्दीः उ0-कैला महतो, द0-खेमन महतो, पू0-चुरो महातो, प0-लेख्यकारी नीज।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, अंचल अधिकारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने व उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के कथन सुनने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक-हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है।

अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.02.11 15:11:02 +05:30
Location: 192.168.1.4